



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccfdevjkh@jharkhandmail.gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0ब0-11/2017-337 दिनांक : 07.03.2018

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
कार्य नियोजना अंचल, राँची

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें" (अन्य व्यय) के अंतर्गत Web GIS Soution for Forestry Modernisation Plan के लिए कुल **रु0 163.955 (एक करोड़ तिरसठ लाख पनचान्वे हजार पाँच सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-07/2017-44/स्वी0 व0प0 राँची दिनांक 26.02.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-07/2017-90/आ0 व0प0 दिनांक 05.03.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष- 47 वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें" योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत एवं आवंटित राशि के अधीन कुल **रु0 163.955 (एक करोड़ तिरसठ लाख पनचान्वे हजार पाँच सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101470103	4.932
मशीन एवं उपकरण	19S240601101470317	50.000
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101470323	109.023
कुल :-		163.955

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, राँची होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-2** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या— 19S240601101470103, 19S240601101470317 एवं 19S240601101470323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. Web GIS Soutlion for Forestry Modernisation Plan में उपयोग होने वाले Software एवं Hardware के तकनीकी मापदण्डों को इस कार्यालय के आदेश संख्या 12 दिनांक 12.02.2018 द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।
6. पूर्व के सभी यंत्र-संयंत्र, मशीन, उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन के पश्चात मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग, झारखण्ड के पत्र सं० 2504 दिनांक 24.07.2017 के आलोक में e-GEMS या निविदा आमंत्रित करके की जाएगी।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
8. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।
9. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम सं०-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं हो तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
11. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों के अनुरूप की जाएगी।
13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-11/2017- 337

दिनांक- 07.03.2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, झारखण्ड, राँची/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-11/2017-337

दिनांक- 07.03.2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत Web GIS Soutlion for Forestry Modernisation Plan के लिए उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी : वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, राँची

(राशि लाख में)										
क्र० सं०	कार्य विवरणी	दर	संख्या	प्राक्कलित राशि	जी०एस०टी०	कुल प्राक्कलित राशि	मजदूरी	मशीन एवं उपकरण	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi
वित्तीय वर्ष 2017-18 (प्रथम वर्ष)										
1	Hexagon Geospatial Developer Network Subscription for Developer programme containing software developer kit for ERDAS Appollo, Geo Media professional with test software license.	450000/- per year per developer	2 Developer for 3 year	27.000	4.860	31.860	4.932	0.000	26.928	31.860
2	DGPS Leica Zeno 20 WEH UMTS (with three year warranty).	700000	10 Nos	70.000	12.600	82.600	0.000	30.000	52.600	82.600
3	Base station GSI4 Basic GNSS Smart Antenna Geodetic 120 channels (with three year warranty).	790000	3 Nos	23.700	4.260	27.960	0.000	10.000	17.960	27.960
4	Initial Software setup infrastructure plug-in SDK installation & Training of Forest Staff for data collection integration with the help of DGPS system.	400000	1	4.000	0.720	4.720	0.000	0.000	4.720	4.720
5	Pilot data validation and correction of 25 square k.m. with help of DGPS control points base to different rover and matching with present available data with groundrooting (existing Forest Pillar Location, village boundary map, river of road will be provided) on system of department.	1425000	1	14.250	2.565	16.815	0.000	10.000	6.815	16.815
योग :-						163.955	4.932	50.000	109.023	163.955

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-11/2017/337

दिनांक - 07-Mar-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101470103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 47 - वन कार्यालयों का आधुनिकिकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	102667	DRNFWL019 YATINDRA KUMAR DAS CF.WORKING PLAN CIRCLE RANCHI	493,200.00 रुपये चार लाख तिरनावे हजार दो सौ
	State Scheme : MODERNIZATION & IT ENABLED SERVICES FOR FOREST OFFICES(0980) Central Scheme : NA			
2	S 19 240601101470317 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 47 - वन कार्यालयों का आधुनिकिकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें 03 - प्रशासनिक व्यय 17 - मशीन एवं उपकरण State Scheme	102670	DRNFWL019 YATINDRA KUMAR DAS CF.WORKING PLAN CIRCLE RANCHI	5,000,000.00 रुपये पचास लाख
	State Scheme : MODERNIZATION & IT ENABLED SERVICES FOR FOREST OFFICES(0980) Central Scheme : NA			
3	S 19 240601101470323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 47 - वन कार्यालयों का आधुनिकिकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	102673	DRNFWL019 YATINDRA KUMAR DAS CF.WORKING PLAN CIRCLE RANCHI	10,902,300.00 रुपये एक करोड नौ लाख दो हजार तीन सौ
	State Scheme : MODERNIZATION & IT ENABLED SERVICES FOR FOREST OFFICES(0980) Central Scheme : NA			

16,395,500.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड तीरसठ लाख पिनचानवे हजार पाँच सौ

(SHRI SATNAM SINGH)
ADDL. PR. SECRETARY, RANCHI